सीडॉ

स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु संविदा

महिलाओं के अधिकारों की पुन:स्थापना

पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट
युनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट फण्ड फॉर विमेन

सीडॉ

महिलाओं के अधिकारों की पुनःस्थापना

यूनिफ़ेम संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं का एक कोष है। यह उन नए कार्यक्रमों और कूटनीतियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है जो महिलाओं के मानव अधिकारों, राजनैतिक सहभागिता और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। यूनिफ़ेम संयुक्त राष्ट्र, सरकारों और गैर–सरकारी संस्थाओं और जेंडर संबंधी समानता को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क के साथ साझेदारी में काम करता है। यह जेंडर को मुख्यधारा में लाकर महिलाओं के सशक्तीकरण की कूटनीतियों पर तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करके और सहयोग को बढ़ावा देकर महिलाओं के मुद्दों और विषयों को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक कार्यक्रमों से जोड़ता है।

पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलेपमेंट (पी. एल. डी.) मानव अधिकारों और कानून पर एक संदर्भ समूह है। यह महिलाओं के अधिकारों को केन्द्र में रखकर हाशिये पर आए हुए समूहों और उनसे संबंधित मुद्दों के लिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है तथा उसे सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। ऐसा संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाकर किया जाता है। यह वकीलों और सामुदायिक समूहों में सहयोग को बढ़ावा देकर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा जानकारी पैदा करके और तकनीकी सहायता द्वारा किया जाता है। यह कानून को सामाजिक कार्य में एक स्रोत के रूप में देखता है और समुदाय में सामाजिक न्याय की पहल में कानूनी एकीकरण का समर्थन करता है।

यूनिफ़ेम, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय
223, जोरबाग
नई दिल्ली – 110 003
भारत
फोन : +91 11 24698297/24604351
फैक्स : +91 11 24622136
वेबसाइट : www.unifem.org

पी. एल. डी.
एफ–18 (प्रथम तल), जंगपुरा एक्सटेंशन
नई दिल्ली – 110 014
भारत
फोन : +91 11 24316832
फैक्स : +91 11 24316833
ईमेल : pldindia@vsnl.com

सीडॉ

स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु संविदा

महिलाओं के अधिकारों की पुनःस्थापना

प्रस्तुतिः

पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलेपमेंट

सहायकः

युनाइटेड नेशन्स डेवलेपमेंट फण्ड फॉर विमेन,
दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय

© पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलेपमेंट (पी.एल.डी.), नई दिल्ली 2006
यह प्रकाशन पी.एल.डी और यूनिफेम द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक 'सीडॉ : रिस्टोरिंग राइट्स टू विमेन' का हिन्दी रूपान्तरण है।

इस किताब का प्रकाशन यूनिफेम के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय और ज़ोंटा इन्टरनेशनल के सहयोग से मुमकिन हुआ है। इस प्रकाशन में व्यक्त किए गए मत लेखकों के हैं और यह ज़रूरी नहीं है कि यूनिफेम, संयुक्त राष्ट्र या उससे संबंधित किसी अन्य संस्था के मत का प्रतिनिधित्व करते हों।

पी.एल.डी. को आभार प्रकट करते हुए इस किताब का शैक्षिक और गैर–व्यावसायिक उपयोग का हम समर्थन करते हैं।

मूल लेखक :

मधु मेहरा

अमिता पुंज

अनुवाद :

मधु मेहरा

अमिता पुंज

अलका ओबरॉय

मुखपृष्ठ :

आनन्द नाओरेम

चित्र और डिजाइन :

विज्युल वाइब (www.visualvibe.net)

मुद्रक :

इंडिया प्रिन्टस

आभार

हिन्दी भाषा में सीडॉ पर संदर्भ सामग्री तैयार करने की ज़रूरत को समझते हुए यह किताब तैयार की गयी है। इस किताब का प्रकाशन यूनिफेम के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय और ज़ोंटा इन्टरनेशनल के सहयोग से मुमकिन हुआ है। अंग्रेज़ी की किताब 'सीडॉ : रिस्टोरिंग राइट्स टू विमेन' के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने हमें इसका हिन्दी रूपान्तर तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीडॉ तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सरल हिन्दी में संदर्भ सामग्री बहुत कम उपलब्ध है । सीडॉ जैसे तकनीकी और नए विषय पर हिन्दी में संदर्भ सामग्री तैयार करने में भाषा संबंधित चुनौतियों पर ध्यान दिलाने के लिए हम दिप्ता भोग, रबेका मामन, रेणुका पामेचा तथा पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा के आभारी हैं। इसलिए यह पुस्तक अंग्रेज़ी की किताब पर आधारित तो है, मगर उसका अनुवाद मात्र नहीं है। व्यस्त होने के बावजूद इसके हिन्दी रूपान्तर के संपादन में पूर्वा भारद्वाज ने अमूल्य योगदान दिया।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

शब्द ''सीडॉ'' को सामान्यतः 'स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु संविदा' और 'स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु समिति' दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। किन्तु इस प्रकाशन में 'स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु संविदा' को ''सीडॉ'' या ''संविदा'' के रूप में संबोधित किया गया है जबकि ''सीडॉ समिति'' को ''कमिटी'' के रूप में संबोधित किया गया है।

सीडॉ संविदा का यह हिन्दी में उपलब्ध तीसरा अनुवाद है

इससे पूर्व विश्व महिला सम्मेलन हेतु समन्वय ईकाई द्वारा 'समानता के क्षितिज की ओर' और यूनेस्को द्वारा 'समानता का पासपोर्ट' प्रकाशित किए गए हैं। इन दोनों में से यूनेस्को द्वारा प्रकाशित अनुवाद अधिक उचित और आधिकारिक अनुवाद है। वर्तमान अनुवाद यूनेस्को द्वारा प्रकाशित अनुवाद के उपलब्ध होने के बावजूद कुछ निर्णायक क्षेत्रों में संशोधनों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। ये अनुच्छेद हैं 1, 9 और 15। इसके अतिरिक्त एक तकनीकी शब्द को भी स्पष्ट किया गया है। ऊपर बताए गए क्षेत्रों के अलावा यह अनुवाद यूनेस्को द्वारा प्रकाशित अनुवाद के समरूप है।

विषय सूची

आमुख

मानव अधिकार : सामान्य से विशिष्ट तक 11
- मानवाधिकारों के मूल लक्षण 11
- प्रधान मानवाधिकार ढांचे के अन्दर महिलाओं के अधिकारों में रुकावटें 13

महिलाओं को मानव का दर्ज़ा देना 17
- समानता का सफ़र 18
- सीडॉ के अंग 20

सीडॉ का बुनियादी ढांचा 23
- समानता 23
- भेदभाव बहिष्कार / भेदभाव 26
- राष्ट्र के दायित्व 32

सीडॉ का कार्यक्षेत्र और विस्तार 37
- अनुच्छेदों का मौलिक विस्तार 38
- सीडॉ की विशेषताएं 45
- निष्कर्ष 49

परिशिष्ट 50
- शब्दावली 50
- स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु संविदा 53

फीडबैक फॉर्म 65